रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1973/पौष 30, 1894
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1973/PAUSA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th January 1973

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) First Amendment Order, 1973.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968:—

The existing item No. 7(a) shall be deleted and substituted by the following:—

"7(a) Lamb Fur Skins, raw and pickled".

3. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 after item No. 38, the following item shall be added:—

"39. Raw hides and skins (except lamb fur skins, raw and pickled)—all types".

[No. E(C)O, 1968/AM(91)]

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973

एस० ओ० 38 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा—निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश 1973 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में :—

(1) वर्तमान मद संख्या 7 (ए) को हटाया जाएगा तथा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा

"7 (ए) कच्ची तथा अम्ल-माजित मेमने की फरवाली खालें ।

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद सं० 38 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

39. सभी प्रकार के कच्चे चमड़े और खालें (मेमने की फरवाली, कच्ची तथा अम्ल-माजित खालों को छोड़कर) ।"

[संख्या ई (सी) ओ, 1968/ए एम (91)]

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973